B-II
L-37
I. Polity

संसदीय समितियाँ

- समितियाँ जो सदन के कार्य संचालन में सहायता देती हैं जैसे नियम समिति, जिसके द्वारा सदन के संचालन में होने वाली नियमों और प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया जाता है।

- कार्य मंत्रणा समिति, जिसके द्वारा सदन के कार्य के लिए समय का आवंटन किया जाता है।

- संसद के समक्ष शिकायतों को निर्धारित करने का का दायित्व याचिका समिति के पास है।

- कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने वाली समितियाँ –

(i) सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति।

(ii) विभागीय समितियाँ।

(iii) प्रदत्त विधापन से संबंधित समिति।

↓

कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निर्मित विधि को प्रदत्त विधापन कहा जाता है।

उदाहरण के लिए- हाल ही में संसद के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम का निर्माण किया गया जिसके बाद इसके लिए नियमों का निर्माण गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया और नियमों उपनियमों अधिसूचना और विनियम को ही अधीनस्थ विधापन कहा जाता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

*उपयोगिता :-

संसद के पास विधि निर्माण के लिए पर्याप्त समय नही रहता और न ही उसके पास विशेषज्ञता है। इसके अतिरिक्त विधि को क्रियान्वित करने का दायित्व नौकरशाही का है इसलिए इन्हे नियमों उपनियमों को बनाने की अनुमति होती है।

- आलोचक यह कहते है कि प्रदत्त विधायन की आड़ में नौकरशाही फलती-फूलती है क्योंकि नौकरशाही न तो निर्वाचित होती है और न ही जवाबदेह होती है। प्रदत्त विधायन को शक्तिपृथक्करण के सिद्धांतों का भी विरोधी कहा जाता है।

इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु संसद मे प्रदत्त विधायन समिति का गठन किया गया है जो यह सुनिश्चित करती है कि नौकरशाही के द्वारा निर्मित नियम या उपनियम संसद द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध नही होना चाहिए।

निष्कर्ष :-

वर्तमान तकनीकी प्रधान साइबर युग के दौर में विधि निर्माण का कार्य अत्यधिक जटिल हो गया है जहाँ प्रदत्त विधायन से संसद के कार्य आसान बन जाते हैं।

Scanned by CamScanner

- भारतीय राज्य कल्याणकारी है और सरकार के द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण के अनेक उपाय किए जाते हैं। इसलिए संसद में महिला सशक्तिकरण समिति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संसदीय समिति का गठन किया गया है।

लोक लेखा समिति :-

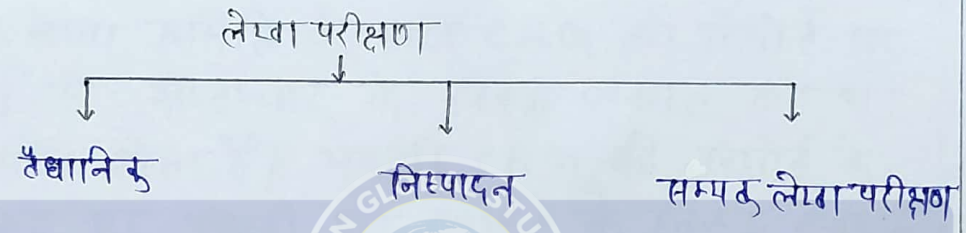

- संसदीय शासन का मूल मर्म विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर निगरानी बनाए रखना है। जिसके लिए विधायिका या संसद अनेक माध्यम अपनाती है जैसे- प्रश्न पूछना, संकल्प प्रस्ताव लाना लेकिन इन सब माध्यमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसद द्वारा कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण है जो लोक-लेखा समिति के बिना संभव नहीं है।
- लोक लेखा समिति (15+7) में 22 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष सदैव विपक्षी दल से लिया जाता है। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। लेकिन ये निर्वाचित होती है। इसके

Scanned by CamScanner

सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है यद्यपि समिति स्थायी होती है।

• लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्ट को सरलीकृत करती है और पुन: संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है समिति के द्वारा रिपोर्ट को सरलीकृत करने में CAG एवं उनके पदाधिकारियों की सहायता ली जाती है। इसलिए CAG को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है।

• लोक लेखा समिति के द्वारा CAG की रिपोर्ट पर चर्चा से भ्रष्टाचार के विरूद्ध जनमत का भी निर्माण होता है। यद्यपि CAG की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में कोई भी कार्यवाही संभव नहीं है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार करने के मामलों मे CBI जॉच का आदेश दिया जो लोकलेखा समिति के सक्रिय भूमि के कारण संभव हुआ इसलिए ये कहा जाता है कि CAG सार्वजनिक धन का संरक्षक है जिसको लोक लेखा समिति राजनीतिक रूप में प्रभावी बना देती है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

संसद की भारतीय लोकतंत्र में भूमिका एवं चुनौतियाँ

• संसद भारत के लोकतांत्रिक शासन में जन आकांक्षाओं का सबसे बड़ा मंच है जहा समूचे राष्ट्र की विविधता देखी जा सकती है और संसद की मूल भूमिकाएं निम्नलिखित हैं:-

(i) प्रतिनिधितादी

(ii) परिचर्चात्मक

(iii) जवाबदेयता

• संसद में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों का बढ़ता प्रतिनिधित्व भारत के लोकतंत्र के गहरे होने का प्रमाण है।

• हाल ही मे 106 वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को लोकसभा और विधान सभा में अनु॰ 330(1), 334 (a) मे $\frac{1}{3}$ अर्ध आरक्षण दिया गया है जो लैंगिक सशक्तिकरण के मार्ग में क्रान्तिकारी कदम है।

• संसद विधि निर्माण के माध्यम से सामाजिक क्रान्ति कर रही है और सदन में होने वाली परिचर्चा और संवाद से न केवल बेहतर विधियों का निर्माण होता है अपितु आम जनता को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है।

• संसद के द्वारा कार्यपालिका पर जवाबदेही बनाए रखने के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा होती है एवं कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किए जा सकते हैं। सूचना के अधिकार का अधिनियम, पंचायती राज व्यवस्था, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम संसद के द्वारा

KGS IAS

Scanned by CamScanner

किए गए कार्यों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
इसके बावजूद भारतीय संसद के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान हैं जिससे संसद का ह्रास हो रहा है।

(i) सदन में अपराधियों का प्रवेश।

(ii) संसद के सत्र की घटती संख्या।

(iii) अध्यादेशों की बढ़ती संख्या।

(iv) अल्पसंख्यकों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।

(v) सदन मे वाकआउट की बढ़ती परम्परा।

(vi) दल-बदल और विधेयकों को संसदीय समितियों के समक्ष न भेजना।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS

निष्कर्ष :-

विगत 75 वर्षों के भारतीय लोकतंत्र में संसद ने प्रगतिशील, समतामूलक सशक्त भारत के निर्माण का आधार रखा है जिसमें थोड़ा सुधार करके इसे जनाकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सकता है।

Scanned by CamScanner